38

प्रशासनिक मामले

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

38.1 हिन्दी के प्रगामी प्रयोग हेतु प्रयास किए गए। हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत अहिन्दी भाषी कर्मचारियों को हिन्दी भाषा का ज्ञान करवाने के लिए प्रबोध , प्रवीण तथा प्राज्ञ कक्षाओं में नामित किया गया। इसके अतिरिक्त, अंग्रेजी आशुलिपिकों/ टंककों को भी हिन्दी आशुलिपि / टंकण कक्षाओं में प्रशिक्षण हेतु नामित किया गया। तेजी से हो रहे प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के अनुरूप रिपोर्टाधीन वर्ष में कार्मिकों को कम्प्यूटर पर हिन्दी में कार्य करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के निदेशानुसार हिंदी के प्रगामी प्रयोग की प्रगति की समीक्षा हेतु इस वर्ष में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकों का आयोजन किया गया। हिन्दी एकक का समस्त कार्य कम्प्यूटरों पर निष्पादित होता है तथा रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (मुख्यालय) के विभिन्न अनुभागों एवं अधिकारियों के पास उपलब्ध कम्प्यूटरों में भी हिन्दी में कार्य करने हेतु द्विभाषिक साफ्टवेयर उपलब्ध करवाया गया है। एक प्रशिक्षणाधीन कर्मचारी को छोड़ कर शेष सभी अधिकारी / कर्मचारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान / प्रवीणता प्राप्त हैं। इस वर्ष के दौरान कुल 29 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी कार्यशालाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया। 75 अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की दृष्टि से किए जाने वाले कार्यों का प्रबोधन करने हेतु विभिन्न आवधिक रिपोर्टों के माध्यम से सूचनाएं संकलित करने के साथ-साथ प्रत्येक वर्ष निरीक्षण भी किया जाता है। रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय में 1 सितम्बर, 2003 से 30 सितम्बर, 2003 के दौरान हिन्दी माह का आयोजन किया गया।

आंतरिक कार्य अध्ययन एकक

38.2 रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के आंतरिक कार्य अध्ययन ने प्रशासनिक सुधार लाने, स्टाफिंग पैटर्न निर्धारित करने तथा उपयुक्त संगठनात्मक ढ़ाँचा तैयार करने तथा कार्य पद्धति हेतु कार्यमापन अध्ययन तथा वर्ष 2003-2004 के दौरान रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन विभिन्न कार्यालयों में अनेक कार्यमापन अध्ययन तथा ओ एण्ड एम निरीक्षण किए हैं। अक्तूबर 2003 तक 10

क्षेत्रीय संस्थानों/कार्यालयों का औ एण्ड एम निरीक्षण किया गया है। शेष कार्यालयों के निरीक्षण हेतु भी प्रयास किए जा रहे हैं। महानिदेशक/संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में तिमाही ओ एण्ड एम बैठकें आयोजित की गई । इस महानिदेशालय में ओ एण्ड एम गतिविधियों में उच्च निष्पादन दर्शाने वाले अनुभागों को पुरस्कार राशि दिए जाने की योजना आरम्भ की गई है । 2002-2003 हेतु कार्यालय पद्धति मैनुअल पर वार्षिक प्रतियोगिता के विजेताओं को 22 अक्तूबर 2003 को ओ एण्ड एम बैठक में सचिव (श्रम) द्वारा प्रशस्ति पत्र तथा नकद पुरस्कार दिया गया । महानिदेशालय ने ऐसे तेरह (13) अनुभागों/इकाइयों की पहचान की जो कि आन्तरिक कार्य अध्ययन एकक को नियमित रूप से विभिन्न विवरणियाँ भेज रहे थे । अनुभाग प्रमुखों तथा उनसे संबंधित अनुभागों को महानिदेशालय की ओ एण्ड एम बैठक में महानिदेशक द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए।

पुरस्कार/सम्मान

38.3 इस महानिदेशालय में ओ एण्ड एम गतिविधियों में उच्च निष्पादन दर्शाने वाले अनुभागों को पुरस्कार राशि दिए जाने की योजना आरम्भ की गई है । योजना के अनुसार, सबसे बेहतर सुव्यवस्थित अनुभाग/डैस्क/इकाई/सैल को नकद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्रों सहित मंत्री जी की रनिंग ट्राफी दी जाएगी । प्रथम एवं द्वित्तीय स्थान पाने वाले विभागों को नकद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र दिए जाएँगें । इन अनुभागों में कार्य कर रहे संबंधित लिपिक/टंकक तथा समूह ‘घ’ कर्मचारियों को नकद पुरस्कार दिए जाएंगें । इसके अतिरिक्त, संबंधित अनुभाग के अवर सचिव/उपसचिव को भी प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगें । उच्च प्रशिक्षण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अध्यापन सह मार्गदर्शन, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं पुनर्वास के क्षेत्र में रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के उत्कृष्ट संस्थानों के लिए एक पुरस्कार/सम्मान योजना आरंभ की गई है। देश में उत्कृष्ट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए भी एक योजना आरंभ की गई है।

अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सेवा प्रतिवेदन

38.4 रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों में कुल 2700 कर्मचारी हैं। सेवाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के समुचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए संपर्क अधिकारी द्वारा आरक्षण संबंधी

रोस्टरों पर निगरानी रखी जाती है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

कर्मचारियों की श्रेणी	**तैनात कर्मचारी**	**आरक्षणों के अनुरूप**		**तैनात**		**अतिरिक्त(+) कमी (-)**	
		अ.जा.	**अ.ज.जा**	**अ.जा.**	**अ.ज.जा**	**अ.जा.**	**अ.ज.जा**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
समूह-क	280	42	21	53	15	(+) 11	(-) 7
समूह-ख	406	62	31	99	26	(+) 37	(-) 5
समूह-ग	1364	205	102	358	85	(+)153	(-)17
समूह-घ	650	98	49	339	53	(+)241	(-)4
योग	**2700**	**407**	**203**	**849**	**79**	**(+)442**	**(-)32**